न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 40/2020
3. उनवान : सरकार जरिये श्री रामस्वरुप जाट, प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा उचित मूल्य दुकानदार अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर पुलिस थाना चन्दवाजी जयपुर ग्रामीण।

4. निर्णय दिनांक :03.06.2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर श्री रामस्वरुप जाट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 24.01.2017 को श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा उचित मूल्य अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर पर जांच कार्यवाही की गयी। दौराने जांच दुकान खुली हुई थी एवं वितरण कार्य चालू पाया गया तथा अप्रार्थी सुरेन्द्र शर्मा उपस्थित मिले जिनकी उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण दुकान पर उपलब्ध गेहूं, चीनी व केरोसीन के स्टॉक रजिस्टर की जांच करने पर स्टॉक रजिस्टर अगस्त 2016 के बाद संधारित नहीं पाया गया। मौके पर पीओएस मशीन मे उपलब्ध स्टॉक की जांच करने पर 513.65 लीटर केरोसीन तेल स्टॉक में दर्ज पाया गया जबकि भौतिक सत्यापन में केरोसीन तेल 5 ड्रम भरे हुये(प्रत्येक 220 लीटर) व लूज 150 लीटर कुल 1250 लीटर केरोसीन तेल उपलब्ध मिला। इस प्रकार कुल 736.350 लीटर केरोसीन तेल स्टॉक में अधिक पाया गया। अप्रार्थी द्वारा मौके पर अधिक मात्रा में पाये गये केरोसीन से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये ना ही कोई संतोषप्रद जवाब दिया गया। ऐसी स्थिति में स्टॉक से अधिक पाये गये 736.350 लीटर केरोसीन मय चार ड्रम को जब्त किया गया। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। दिनांक 13.12.2023 को अप्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया जिसमें अंकित है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य पूर्णरुप से गलत एवं मनगढंत है। जिला रसद अधिकारी ने अप्रार्थी का प्राधिकार पत्र दिनांक 4–12–2017 को निरस्त करने तथा प्रतिभूति राशि जब्त करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरुद्ध अप्रार्थी ने माननीय जिला कलक्टर, जयपुर के यहां अपील संख्या 2/2018 प्रस्तुत की, जिसे दिनांक 5–3–2019 को स्वीकार करते हुये निर्णय दिनांक 4–12–2017 को निरस्त करने का निर्णय पारित किया। जिसमें अंकित है कि अपीलार्थी के जवाब के साथ प्रस्तुत साक्ष्यों को जांच किये बिना आरोपित किया गया। सरकार द्वारा अगस्त 2016 से पोस मशीन जारी की गई थी इसलिये गेहूं, चीनी व केरोसीन का स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं किया। जिला रसद अधिकारी के आदेश दिनांक 7–10–2014 द्वारा निलम्बित के.वी.एस.एस. अचरोल को प्रशासनिक दृष्टि से अप्रार्थी की दुकान से सम्बद्ध किया गया था। दोनों दुकानों पर माह सितम्बर 2016 से जनवरी 2017 तक प्राप्त केरोसीन व उचित मूल्य दुकान संख्या–3 पर अवशेष 48 लीटर केरोसीन सहित कुल 8948 लीटर केरोसीन था। सितम्बर 2016 से वक्त निरीक्षण तक पोस मशीन से कुल 7326 लीटर केरोसीन को वितरण हो चुका था। इस प्रकार 1612 लीटर तेल अवशेष रहा। जांच दल के द्वारा बिना माप करे ही 736.350 लीटर केरोसीन बताया गया। दिनांक 17.2.2017 को जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने दोनों उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण किया जिसमें उन्होंने भौतिक सत्यापन में स्टॉक सही पाया। अन्त मे प्रकरण में नोटिस विड्रो फरमाया जाकर केरोसीन तेल वापिस दिलवाये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

करने के बाद प्रकरण वास्ते बहस नीयत किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता लम्बे समय से बहस हेतु अनुपस्थित रहे। आज भी बारम्बार आवाज दिलाई गई बावजूद अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थी पैरोकार सरकार की एकतरफा बहस सुनी गयी। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 03.06.2025 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 24.01.2017 को अप्रार्थी की उचित मूल्य की दुकान से जांच करने पर स्टॉक रजिस्टर अगस्त 2016 के बाद संधारित नहीं पाया गया। मौके पर पीओएस मशीन मे उपलब्ध स्टॉक की जांच करने पर 513.65 लीटर केरोसीन तेल स्टॉक में दर्ज पाया गया जबकि भौतिक सत्यापन में कुल 736.350 लीटर केरोसीन तेल स्टॉक में अधिक पाया गया। जिला रसद अधिकारी ने अप्रार्थी का प्राधिकार पत्र दिनांक 4–12–2017 को निरस्त करने तथा प्रतिभूति राशि जब्त करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरुद्ध अप्रार्थी ने माननीय जिला कलक्टर, जयपुर के यहां अपील संख्या प्रस्तुत की, जिसे स्वीकार करते हुये निर्णय दिनांक 4–12–2017 को निरस्त कर अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर किया जाकर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करने का निर्णय पारित किया। जिसके अनुसरण में अप्रार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। परन्तु अप्रार्थी जवाब प्रस्तुत करने के बाद से अनुपस्थित रहा। अप्रार्थी ने जवाब में अंकित किया कि निलम्बित के.वी. एस.एस. अचरोल को प्रशासनिक दृष्टि से अप्रार्थी की दुकान से सम्बद्ध किया गया था जबकि इस सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करे। अप्रार्थी ने दोनों दुकानों का आमद–रफत का रिकार्ड भी प्रस्तुत नहीं किया। अप्रार्थी ने जवाब में अंकित किया कि दिनांक 17.2.2017 को जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने दोनों उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण किया जिसमें उन्होंने भौतिक सत्यापन में स्टॉक सही पाया। जबकि इस निरीक्षण से संबंधित कोई दस्तावेज अप्रार्थी ने उपलब्ध नहीं कराये ना ही पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेज उपलब्ध है। उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी के जवाब में अंकित तथ्यों में कोई सत्यता नहीं है। ना ही कोई ऐसा दस्तावेज है जिससे उक्त जब्त केरोसीन अप्रार्थी का वैध केरोसीन होना पाया गया हो। अप्रार्थी का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्य व अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा जब्त 736.350 लीटर केरोसीन तेल को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर, द्वितीय को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर

Court of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate JAIPUR - III
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर